न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/68/2020	26-11-2020	27-10-2022

01- सुभाष पुत्र सन्ता सिंह जाति नट निवासी ग्राम बगड गेंव तहसील रामगढ जिला अलवर ।

-: अपीलाण्ट

बनाम

01- सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ जिला अलवर।

-: रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ दिनांक 20.02.2020 जिसके द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनाक 28.02.2017 को यथावत रखा गया है। अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 79/17/2020

उपस्थितः-

01-श्री उमेश चन्द कौशिक -वकील अपीलाण्ट

02-श्री दीपक मीना -राजकीय अभिभाषक

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 20.02.2020 प्रकरण संख्या 79/17/2020 जिसके द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनाक 28.02.2017 को यथावत रखा गया है, उक्त प्रकरण में सम्वत 2073 में अपीलान्ट को ग्राम नगंली मेधा तहसील रामगढ की आराजी खसरा नम्बर 449 रकबा 2.11 है0 किस्म चारागाह में से 0.35 है0 में गैहू की फसल काश्त कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने पर की गई बेदखली/पैनल्टी/3 माह का सिविल कारावास की सजा से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलांट उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि अपीलान्ट के विरूद्व आराजी खसरा न0 449 रकबा 2.11 है0 में से 0.35 है0 किस्म चारागाह वाके ग्राम नगली मेधा पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम का नोटिस जारी किया गया और दिनाक 28.02.2017 निर्णय पारित किया गया जिसमें अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिकमण पाये जाने के कारण 3 माह का सिविल कारावास/मौके से बैदखली/ पैलन्टी की सजा से दण्डित किया गया था, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय 28.02.2017 की अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के यहा की गयी, जिसमे न्यायालय द्वारा अपील अपीलान्ट दिनाक 25.09.2019 स्वीकार की जाकर तहसीलदार रामगढ को प्रकरण में पुनः सुनवाई का अवसर देते हुए पत्रावली रिमाण्ड की गयी थी। रिमाण्ड होने पर तहसीलदार रामगढ द्वारा अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया जिस पर तहत अदालत के समक्ष उपस्थित होकर दिनाक 04.11.2019 को अपना जवाब पेश कर अंकित किया था, कि आराजी खसरा न0 449 वाके ग्राम नगली मेधा से लगती हुई अपीलान्ट की आराजी खसरा न0 448 है, अपीलान्ट ने किसी भी चारागाह भूमि पर अतिक्रमण नही किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

दिया गया, जिस पर अपीलान्ट

गया है। अपीलान्ट के जवाब के बाद तहसीलदार रामगढ द्वारा किसी भी प्रकार से जॉच नही करायी गयी न ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट ली गयी और न ही पटवारी हल्का के बयान कराये गये। न्यायालय के आदेशानुसार तहसीलदार रामगढ द्वारा यह जॉच किया जाना आवश्यक था, कि आराजी खसरा न0 449 वाके ग्राम नगली मेधा किस्म चारागाह रकबा 0.35 है0 पर अतिक्रमी का मौके पर अतिक्रमण है, या नही। चूकि अपीलान्ट की स्वयं की खातेदारी की आराजी खसरा न0 448 इस चारागाह भूमि के विल्कुल लगती हुई है। तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी व चारागाह भूमि की पैमाईश अवश्य ही करायी जानी चाहिये थी, जिससे यह स्पष्ट हो सके की अपीलान्ट का चारागाह भूमि पर कब्जा है, या नही बिना पैमाईश कराये मौके पर यह निर्णय नही लिया जा सकता कि अपीलान्ट ने चारागाह भूमि पर नाजायज कब्जा किया हुआ है। बिना जॉच किये और बिना सुने दिनाक 20.02.2020 को तहत अदालत द्वारा उक्त पत्रावली का निर्णय कर दिया गया तथा इसमें यह भी अंकित किया कि अपीलान्ट द्वारा पुनः वर्णित आराजी पर अतिक्रमण किया गया है। इस लिये निर्णय दिनाक 28.02.2017 को यथावत रखा जावे। अपीलान्ट को पारित निर्णय दिनाक 20.02.2020 की जानकारी नही दी गयी और इससे पूर्व दिनाक 05.02.2020 की आदेशिका के अवलोकन करने पर यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है, कि अपीलान्ट को सुनने का और अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नही दिया गया और न ही पत्रावली दिनाक 20.02.2020 को वास्ते निर्णय हेतु नियत थी, और निर्णय पारित कर दिया। दिनाक 20.02.2020 के निर्णय के पश्चात करीब आठ माह से अपीलान्ट प्रकरण की तहसीलदार कार्यालय में जानकारी करता रहा किन्तु यही जवाब दिया जाता रहा कि कोविड–19 के कारण काम बन्द है, इस लिए पारित निर्णय दिनाक 20.02.2020 के निर्णय की जानकारी नही हो सकी। अपीलान्ट दिनाक 17.11.2020 को तहसील कार्यालय में गया और वहा जानकारी की तो उसे इस निर्णय दिनाक 20.02.2020 की जानकारी हुई। अपीलान्ट ने दिनाक 19.11.2020 को पारित निर्णय की नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनाक 22.11.2020 को नकल प्राप्त हुयी। पारित आदेश दिनांक 20.02.2020 की प्रथम जानकारी की दिनाक 19.11.2020 से व उसके बाद का समय माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 05 कानून मियाद का पेश कर अपील अपीलान्टान अन्दर अवधि मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनाक 20.02.2020 को निरस्त किया जावे।

राजकीय अभिभाषक उपस्थित। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है, कि तहत अदालत द्वारा चारागाह राजकीय भूमि में पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने पर विधिवत कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया है, पारित निर्णय न्यायोचित प्रकियानुसार है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2020 के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 26.11.2020 को पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 22.02.2020 की जानकारी अपीलान्ट को दिनाक 17.11.2020 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के विन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि रिमाण्ड होने पर तहसीलदार रामगढ द्वारा अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया जिस पर तहत अदालत के समक्ष उपस्थित होकर दिनाक 04.11.2019 को अपना जवाब पेश कर अंकित किया था, कि आराजी खसरा न0 449 वाके ग्राम नगली मेधा से लगती हुई अपीलान्ट की आराजी खसरा न0 448 है,

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

अपीलान्ट ने किसी भी चारागाह भूमि पर अतिक्रमण नही किया गया है। अपीलान्ट के जवाब के बाद तहसीलदार रामगढ द्वारा किसी भी प्रकार से जॉच नही करायी गयी न ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट ली गयी और न ही पटवारी हल्का के बयान कराये गये। न्यायालय के आदेशानुसार तहसीलदार रामगढ द्वारा यह जॉच किया जाना आवश्यक था, कि आराजी खसरा न0 449 वाके ग्राम नगली मेधा किस्म चारागाह रकबा 0.35 है0 पर अतिक्रमी का मौके पर अतिक्रमण है, या नही। चूकि अपीलान्ट की स्वयं की खातेदारी की आराजी खसरा न0 448 इस चारागाह भूमि के बिल्कुल लगती हुई है। तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी व चारागाह भूमि की पैमाईश अवश्य ही करायी जानी चाहिये थी, जिससे यह स्पष्ट हो सके की अपीलान्ट का चारागाह भूमि पर कब्जा है, या नही बिना पैमाईश कराये मौके पर यह निर्णय नही लिया जा सकता कि अपीलान्ट ने चारागाह भूमि पर नाजायज कब्जा किया हुआ है। बिना जॉच किये और बिना सुने दिनाक 20.02.2020 को तहत अदालत द्वारा उक्त पत्रावली का निर्णय कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दिनाक 25.09.2019 की पालना में तहत अदालत द्वारा प्रकरण पुनः प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी को जरिये नोटिस तलब कर किया गया। अतिक्रमी तहत अदालत के समक्ष उपस्थित होकर अपील में जवाब पेश किया गया अपने जवाव में अंकित किया है, कि न0 449 वाके ग्राम नगली मेधा से लगती हुई अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी खसरा न0 448 है, अपीलान्ट ने किसी भी चारागाह भूमि पर अतिक्रमण नही किया गया है। अपनी खातेदारी की आराजी में ही काश्त की है। अतिक्रमित रकबे की पुनः भू0 अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का से पुनः जॉच करायी गयी, मुताबिक रिपोर्ट दिनाक 09.01.2020 अपीलान्ट द्वारा 2.11 है0 पर पुनः फसल काश्त कर अतिक्रमण किये जाने पर तहत अदालत के निर्णय दिनाक 28.02.2017 को यथावत रखा गया है। अपीलान्ट का कथन है, कि तहत अदालत द्वारा सुनवाई का अवसर दिया बिना ही पूर्व में पारित निर्णय को यथावत रखा गया है, वह असत्य है, तहत अदालत द्वारा प्रद्वत आदेशो की पूर्ण पालना कर निर्णय पारित किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट से अपीलार्थी का अतिक्रमण/पश्चातवर्ती साबित होता है। वर्णित आराजी की किस्म चारागाह है, जो धारा 16 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में आती है। जिस पर अतिक्रमण किये जाने का किसी को कोई अधिकार नही है। तहत अदालत द्वारा विधिवत कार्यवाही पूर्ण कर विधिसम्मत दिनाक 20.02.2020 को निर्णय पारित किया गया है, पारित निर्णय न्यायोचित प्रक्रियानुसार है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 22.02.2020 यथावत रखा जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तमा सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)